



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09042026-271672
CG-DL-E-09042026-271672

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1749]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 9, 2026/चैत्र 19, 1948

No. 1749]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 9, 2026/CHAITRA 19, 1948

रेल मंत्रालय

[उत्तर रेलवे (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अप्रैल, 2026

का.आ. 1817(अ).— रेलवे अधिनियम - 1989 (2008 में संशोधित) की धारा 2 के उपखंड (7-ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद् द्वारा सरकारी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रभावी नीचे तालिका के कॉलम (2) में वर्णित अधिकारी को प्राधिकृत करती है कि वह तालिका के कॉलम (5) में वर्णित रेलवे परियोजना के कार्य निष्पादन अनुपालन, प्रबंधन एवं परिचालन हेतु कॉलम (3) में वर्णित जनपद एवं कॉलम (4) में वर्णित राज्य में सक्षम प्राधिकारी के रूप में कार्य निष्पादित करें।

तालिका

क्रमांक	सक्षम प्राधिकारी	जनपद	राज्य	रेलवे परियोजना का नाम
1	2	3	4	5
1	अपर ज़िला मजिस्ट्रेट, उत्तर बाहरी दिल्ली	उत्तर बाहरी दिल्ली	दिल्ली	"दिल्ली मंडल, उत्तर रेलवे में दिल्ली-पानीपत-अंबाला (198 कि. मी.) के बीच तीसरी एवं चौथी रेल लाइन के निर्माण" हेतु।
2	अपर ज़िला मजिस्ट्रेट, उत्तर पश्चिम दिल्ली	उत्तर पश्चिम दिल्ली		
3	अपर ज़िला मजिस्ट्रेट, उत्तर दिल्ली	उत्तर दिल्ली		

[फा. सं. 190-W/Land/TKJ/DLI-UMB]

शैलेश कुमार मिश्रा, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण

MINISTRY OF RAILWAYS**[Northern Railway (Construction Organization)]****NOTIFICATION**

New Delhi, the 9th April, 2026

S.O. 1817(E).— In exercise of the power conferred by clause (7A) of Section 2 of the Railways Act, 1989 (Amended in 2008), the Central Government hereby authorizes the Officer mentioned in column (2) of the table below to perform the functions of the “**Competent Authority for Land Acquisition (CALA)**” in respect of Railway Project as mentioned in column (5) of the table, for execution, maintenance, management and operation in the District (3) and the state mentioned in column (4) of the said table, with effect from the date of this notification in the Official Gazette.

TABLE

Sr. No.	Competent Authority	District	State	Name of project
1	2	3	4	5
1	Additional District Magistrate, Outer North Delhi	Outer North Delhi	Delhi	Construction of 3rd and 4th line between Delhi-Panipat-Ambala (198 Km) in Delhi Division of Northern Railway.

[F. No. 190-W/Land/TKJ/DLI-UMB]

SHAILESH KUMAR MISHRA, Chief Administrative Officer/Const.